भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*340
21 दिसम्बर, 2021 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में शीतागारों की स्थापना

*** 340. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**

डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) के संबंध में समकालीन प्रौद्योगिकी के नवीकरण और जलवायु परिवर्तन, कीमतों में उतार-चढ़ाव और मांग में होने वाली कमीबेशी के प्रति संरक्षण तथा सतत निवेश के लिए क्या पहलें की गई हैं;

(ख): इस मंत्रालय के अंतर्गत राज्य स्तर पर शीतागारों की स्थापना से संबंधित प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ग): विशेषकर महाराष्ट्र राज्य सहित देश में प्रचालित किए जा रहे शीतागारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या आज तक कितनी हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री पशुपति कुमार पारस)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में शीतागारों की स्थापना के बारे में दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *340 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क): सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) कार्यान्वित कर रही है जो देश में जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापक नीतिगत ढ़ांचा है । एनएपीसीसी के अनुरूप अनुकूलन और लघुकरण दोनों पर भारत की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए हरित/निम्न कार्बन फुटप्रिंट प्रौद्योगियों को विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थानों/अनुसंधान संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

देश में अपनी योजनाओं के माध्यम से आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की स्थापना के अलावा मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत उत्पादक क्षेत्र से खपत केंद्रों तक अतिरिक्त उत्तपादित फसलों को पहुंचाने के लिए परिवहन और भंडारण पर होने वाले खर्च को 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता के माध्यम द्वारा विकारी फलों और सब्जियों के संदर्भ में मूल्य स्थिरीकरण के उपाय भी कर रहा है ।

इसके अलावा निर्यात में लगे लोगों सहित खाद्य प्रसंस्करण निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विनियामक और नीतिगत सुधार किए हैं । इन उपायों में उत्पादन अनुमोदन व्यवस्था से घटक आधारित अनुमोदन प्रणाली में स्थानांतरण, मंत्रालयों में कैबिनेट सचिव और परियोजना विकास प्रकोष्ठों के अधीन सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) स्थापित करना; ऑनलाईन पोर्टल आदि के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन और अनुदान संवितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना शामिल हैं ।

(ख): एमओएफपीआई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजनाओं के अंतर्गत समय-समय से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) की मांग द्वारा खाद्य प्रसंसकरण अवसंरचना (नियंत्रित वातावरण, संशोधित वातावरण, फ्रोजन आदि जैसे विविध प्रकृति की संगत शीतागार से जुड़े) की स्थापना हेतु प्रसतावों को आमंत्रित करता है । आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं और योजना दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता तथा मूल्यांकन मानदंड़ों के आधार पर जांच की जाती है । इसके बाद चयनित प्रस्तावों के प्रमोटर संस्वीकृत परियोजना के अनुसार संबंधित यूनिटों की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू करते हैं ।

(ग): महाराष्ट्र राज्य सहित मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं से जुड़े हुए शीतागारों (सीए/एमए/फ्रोजन आदि) की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	अंडमान और निकोबार	2
2	आंध्र प्रदेश	45
3	अरुणाचल प्रदेश	7
4	असम	13
5	बिहार	8
6	छत्तीसगढ़	9
7	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1
8	गुजरात	39
9	हरियाणा	29
10	हिमाचल प्रदेश	27
11	जम्मू और कश्मीर	21
12	कर्नाटक	37
13	केरल	11
14	मध्य प्रदेश	15
15	**महाराष्ट्र**	**112**
16	मणिपुर	15
17	मेघालय	10
18	मिजोरम	9
19	नागालैंड	8
20	ओडिशा	10
21	पंजाब	73
22	राजस्थान	31
23	तमिलनाडु	59
24	तेलंगाना	18
25	त्रिपुरा	1
26	उत्तर प्रदेश	41
27	उत्तराखंड	57
28	पश्चिम बंगाल	23
	कुल	**731**

*****